न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 112/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सज्जनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.12.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार बनाम सज्जनसिंह में निर्णय दिनांक 27.08.2019 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 325 व 270 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.09.19 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर मे प्रस्तुत की गई है। जो माननीय न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/विविध/2019/203 दिनांक 03.10.19 के अंतरण होकर प्राप्त हुई। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.10.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 2/19 के फर्द अहकाम दिनांक 22.07.19 से 12.09.19 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 27.08.19 की फोटोप्रति तथा न्यायालय हाजा के पत्र दिनांक 21.02.19 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कब तैयार की गई और उक्त खसरा नं. का क्या नाप चोप है इस कोई उल्लेख नजरी नक्शा मे नही किया है। पटवारी ने गलत आधार पर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही की है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर पश्चातवृति अतिक्रमण मानते हुए सिविल कारावास की सजा देने का आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त भूमि न तो कभी गोचर की थी और न ही आज दिन गोचर के रूप मे काम मे आ रही है बल्कि उक्त भूमि पूर्व मे अपीलांट के दादा व अपीलांट के नाना के कब्जे काश्त व खातेदारी की रहती आयी है तथा इस संबंध मे विस्तृत जवाब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–वादग्रस्त भूमि पर गलत रूप से पूर्व में भी अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाज मे विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण मे न्यायालय हाजा ने पालना स्थगित

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

करने का आदेश दिया हुआ है। इसके बावजूद उसी भूमि के संबंध मे दुबारा पश्चातवृति निर्णय पारित कर दिया जो न्यायोचित व न्यायसंगत नही है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा पश्चातवृति अतिक्रमण साबित नही किया और न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये इसके उपरांत अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VII)–पटवारी हल्का के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कोई शपथ पत्र/गवाही भी नही ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त आदेश जैर अपील अवैध है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय के सामने यह स्थिति स्पष्ट थी कि पूर्व मे पारित आदेश के विरूद्व अपील पेश की हुई है तब ऐसी स्थिति मे जब पूर्व निर्णय को चुनौती दी हुई थी उसे अतिक्रमण कैसे माना जा सकता है तथा अपीलांटस को कब बेदखल किया गया तथा अपीलांट का कब्जा कब से उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो पर विचार किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अवैध है।

{2}(IX)–पटवारी हल्का ने अपीलांट से रंजिश रखने वाले लोगो को खुश करने के लिये गलत रूप से उक्त कार्यवाही की है जो अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मालगांव में स्थित गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 325 व 270 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर व रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। आराजी भूमि से इससे पूर्व अपीलांट की भौतिक रूप से बेदखली की गई हो, तत्पश्चात अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की पुनरावृति की गई हो, ऐसी कोई फर्द अथवा दस्तावेजी आधार पत्रावली पर नही है। जिससे अतिक्रमण की पुनरावृति होना साबित नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष बेदखली व जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर